



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 02/2013

वादी

1. ढगलाराम पुत्र श्री पुराराम
2. जोगाराम पुत्र श्री पुराराम
जातियान सीरवी, निवासीगण
बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बंसत पुत्र बचनाराम
2. राकेश पुत्र श्री बचनाराम
3. सुरेश कुमार पुत्र श्री लाबुराम
4. प्रकाशचन्द पुत्र श्री लाबुराम
5. सुगनीदेवी पत्नी लाबूराम
6. लक्ष्मीदेवी पुत्री लाबूराम
7. ललितादेवी पुत्री लाबूराम
8. गुडीदेवी पुत्री लाबूराम
9. जोगाराम पुत्र अन्नाराम
10. केलीदेवी पत्नी जोगाराम
जातियान जाट
11. ओगड़दास पुत्र श्री केसुदास
12. बाबुदास पुत्र श्री केसुदास
13. अणचाई पत्नी केसुदास
जातियान साद
14. खेताराम पुत्र सुजाराम
15. चन्द्राराम पुत्र सुजाराम
16. मुन्नाराम पुत्र कानाराम
17. प्रकाश पुत्र कानाराम
18. पानी पत्नी कानाराम
19. सीता पुत्री कानाराम
20. पप्पू पुत्री कानाराम
21. छोटू पुत्री कानाराम
22. गेरी पत्नी भंवरलाल
23. गुटकी पुत्री लाबूराम
जातियान जाट निवासीगण
बिंजवाड़िया तहसील बिलाड़ा,
24. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर
एण्ड जयपुर शाखा बिलाड़ा
25. तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिंजवाड़िया राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15.02.2016 कीक पालना नही की गयी है। जबकि न्यायालय आदेश के सात दिवस में आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत सम्मन पेश करने आवश्यक है अन्यथा वाद खारिज योग्य हो जाता है। इसके साथ ही वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 22 जो फोट हो चुका है के कायम मुकाम की कार्यवाही आदेश दिनांक 15.02.2016 की पालना में नही की है जबकि 90 दिवस में कायम मुकाम की कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नही करने से यह वाद आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा